(11) (139)

.....क्रमांक ..../06

प्रस्तुति दिनांक 31/05/06

श्रीमान न्यायालय राजस्व मण्डल (चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी)

R 994 II/06 ग्वालियर के समक्ष

1. श्री रमणलाल पिता श्री जगन्नाथ कासलीवाल
निवासी - 33, कंचनबाग, इन्दौर
हाल मुकाम - दहेगाँव रोड़, नन्दगाँव, नासिक (महा.)

2. श्री सुनील पिता श्री माणकचंद कासलीवाल
निवासी - 33, कंचनबाग, इन्दौर
हाल मुकाम - सनजीत हाऊसिंग सोसायटी,
मनमाँड, जिला-नासिक (महा.)

3. श्री माणकचंद पिता श्री जगन्नाथ कासलीवाल (मृतक)
तर्फे वारिसान -
(1) श्रीमति कमल पति स्व. श्री माणकचंद जी कासलीवाल
(2) डॉ. अनिल पिता स्व. श्री माणकचंद जी कासलीवाल
निवासी - 33, कंचनबाग, इन्दौर
हाल मुकाम - दहेगाँव रोड़, नन्दगाँव, नासिक (महा.)
(3) सौ. मीना पति अशोक कुमार जैन
निवासी - मेन रोड़, गोंदिया (महा.) -----प्रार्थीगण

श्री प्रकाश श्रीवास्तव अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 31-5-06 को इन्दौर कैम्प पर प्रस्तुत की।
31-5-06

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश वित्त निगम
वित्त भवन, ए.बी. रोड़. इन्दौर

...... सतत्

2. श्री मनोज कुमार पिता श्री विशाल जैन
निवासी - 34-35, पूजा अपार्टमेन्ट,
तिरूपति नगर, इन्दौर

3. श्री हेमन्त कुमार पिता स्व. श्री माणकचंद जी जैन
निवासी - 461, एम. जी. रोड़, मल्हारगंज, इन्दौर
तिरूपति नगर, इन्दौर

4. श्री अनिल कुमार पिता श्री प्रकाशचन्द्र अजमेरा
निवासी - 30-बी, नेमीनगर, जैन कॉलोनी, इन्दौर
तिरूपति नगर, इन्दौर ------रेस्पोंडेण्टस्

रीविजन अन्तर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत्

सदर अपील में अपीलार्थीगण श्री रमणलाल कासलीवाल, सुनील कासलीवाल एवं श्री माणकचंद जी कासलीवाल (मृतक) की ओर से माननीय न्यायालय, अतिरिक्त तहसीलदार महोदय (वसूली) उप-मुख्य प्रबंधक, मध्य प्रदेश वित्त निगम, इन्दौर, श्री ए. के. श्रीवास्तव द्वारा प्रकरण क्रमांक एच.सी.-आर. आर. आर. सी., केस नम्बर-551/आय.एन.डी.1/2000-2001 मे पारित आदेश दिनांक 12/01/2001 से असंतुष्ट होकर माननीय अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर के समक्ष की थी । उक्त अपील क्रमांक 133/अपील 2002-03 मे माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक सुनवाई श्रवण कर दिनांक 16/09/2003 को पारित आदेश मे अपील को निरस्त किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील माननीय अतिरिक्त आयुक्त महोदय श्री कृष्ण मोहन गौतम सा. के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पारित आदेश दिनांक 13/01/2006 से असंतुष्ट होकर सदर रीविजन माननीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

प्रकरण के तथ्य :-

1. (अ) यह कि, सिल्वोमेक इण्डस्ट्रीज का गठन 01/10/1986 को एक भागीदार फर्म के रूप में हुआ था, जिसमें दो भागीदार रिस्पाण्डेन्ट क्रमांक 2 व 3 थे ।

..... सतत्

(2) (3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 994-एक/06 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2018	उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । यह प्रकरण वर्ष 2006 से निराकरण हेतु लम्बित है । अत: प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त तहसीलदार (वसूली) उप मुख्य प्रबंधक म.प्र. वित्त निगम, इंदौर द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध वसूली के प्रकरण में दिनांक 12-1-2001 को वसूली की कार्यवाही जारी रखे जाने के आदेश पारित किये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 133/अपील/02-03 में दिनांक 16-9-2003 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील भी अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा दिनांक 13-1-2006 को आदेश पारित कर निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अतिरिक्त तहसीलदार (वसूली) के आदेशिका दिनांक 12-1-2001 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण के विरूद्ध आर.आर.सी. की कार्यवाही प्रचलित है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम एवं द्वितीय अपीलें निरस्त हुई हैं । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।" उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती हे । अध्यक्ष	